निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर (राज॰)

प्रकरण संख्या 21/2021 (ई मित्र अपील)

कालूराम जाट पुत्र श्री भूराराम जाट जाति जाट, निवासी ग्राम फूटोलाव, तहसील आंधी, जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारीं जमवारामगढ जिला जयपुर ।
2. लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लालवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर प्रकरण क्रमांक 812/2021 उनवानी शिकायत कर्ता लोकेश कुमार शर्मा बनाम कालूराम जाट

उपस्थित :–

1.श्री केदार प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 11.07.2022**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सरकार सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग के आदेश नम्बर F. 5 (915) DOIT/Tech/15/02511/2019 दिनांक 08.07.2019 के तहत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के प्रकरण संख्या 812/2021 शिकायतकर्ता श्री लोकेश कुमार बनाम कालूराम जाट में पारित आदेश दिनांक 24.03.2021 से व्यथित हो कर यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या दो दिनांक 14.09.2021 को उपस्थित हुआ इसके प्श्चात उपस्थित नही हुआ। प्रत्यर्थी संख्या 1 से तहत रिकार्ड व तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई।

3. बहस एक पक्षीय सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ने अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया और केवल मात्र शिकायकर्ता की शिकायत को ही आधार मान कर अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी

जिला कलक्टर
जयपुर

अपीलार्थी को तब हुई जब दिनांक 24.03.2021 से 28.03.2021 तक अपीलार्थी का कियोस्क बन्द कर दिया गया तथा दिनांक 29.03.2021 को उसके ई मित्रा वॉयलेट से शास्ति राशि 5000/–रूपये अक्षरे पांच हजार रूपये काट ली गई । शिकायतकर्ता द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम पंचायत फूटोलाव जमवारागढ स्थित ई–मित्र कियोस्क धारक श्री कालूराम जाट कियोस्क नम्बर K110115642 द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने की शिकायत दिनांक 08.03.2021 को प्रस्तुत की गई। उक्त शिकायत पत्र की जांच करने पर ई–मित्र कियोस्क धारक श्री कालूराम जाट कियोस्क नम्बर K 110115642 द्वारा आवेदक से सेवाओं की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करना पाया गया जिस कारण उक्त कियोस्क धारक पर सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग के परिपत्र कमांक F. 5 (915) DOIT/Tech/15 /02511/ 2019 दिनांक 08.07.2019 के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है। "ई–मित्र कियोस्क पर 5000/–रूपये की शास्ति आरोपित करने के साथ ही 5 दिवस के लिए ई–मित्र आईडी निलम्बित की जाती है।" इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा बगैर सुनवाई के एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण से निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.03.2021 निरस्त किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.03.2021 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के परिपत्र कमांक F. 5 (915) DOIT/Tech/15/02511/ 2019 दिनांक 08.07.2019 का उल्लेख किया गया है जिसमें यह लिखा है कि ई –मित्र कियोस्क द्वारा अधिक राशि लेने पर प्रार्थी द्वारा 181 या राजस्थान सम्पर्क पर कियोस्क के विरूद्व शिकायत दर्ज की जावेगी। शिकायत प्राप्त होने पर एस॰डी॰एम॰ द्वारा शिकायत की जांच की जावेगी तथा आवश्यक होने पर प्रार्थी एवं ई–मित्र कियोस्क धारक को व्यक्तिशः सुनवाई हेतु बुलाया जायेगा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त एक पक्षीय आदेश दिनांक 24.03.2021 को पारित कर उक्त आदेश अधिरोपित शास्ति 5000/–रूपये अपील करने का अवसर दिये बिना ही वसूल कर ली गई। जबकि सूचना प्रोद्यौगिकी एचं संचार विभाग के परिपत्र दिनांक 08.07.2019 में साफ–साफ लिखा है कि इस संबंध में कियोस्क धारक जिला कलक्टर को अपील कर सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त परिपत्र में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 2 एक अपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा आये दिन कियोस्क धारकों से झगड़ा करता है, पैसे मांगता है और अगर पैसे नहीं दिये तो झूंठी शिकायत कर कियोस्क को बन्द करवाने की धमकियां देता रहता है तथा इसी कम में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने राजस्थान सम्पर्क पर दिनांक 23.02.2021 को जगतसर उर्फ रिक्शा, फूटोलाव, आंधी जयपुर का बनकर शिकायत की जिसमें भी तीन जाति प्रमाण पत्रों के बाबत 150/–रूपये लेन का अरोप लगाया जबकि सरकार ने एक जाति प्रमाण पत्र की

जिला कलक्टर
जयपुर

राशि 50/– रूपये तय की गई है तथा उक्त शिकायत का राजस्थान सम्पर्क शाखा द्वारा दिनांक 06.04.2021 को Final Closure (No Response) के साथ निस्तारण किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 शिकायतकर्ता द्वारा अपनी उपरोक्त शिकायत का अन्तिम परिणाम जाने बिना ही पुनः दिनांक 08.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के पास तीन जाति प्रमाण पत्र बाबत 200/–रूपये लेने की शिकायत कर दी तथा उक्त शिकायत का निस्तारण भी नहीं हुआ उससे पहले पुनः दिनांक 12.03.2021 को राजस्थान सम्पर्क पर फूटोलाव, आंधी, जयपुर का बन कर शिकायत की जिसमें भी तीन जाति प्रमाण पत्रों के बाबत 150/–रूपये लेने का अरोप लगाया जबकि सरकार द्वारा एक जाति प्रमाण पत्र की राशि 50/–रूपये तय की गई है तथा उक्त शिकायत का भी राजस्थान सम्पर्क शाखा द्वारा दिनांक 10.04.2021 को Final Closure (No Response) के साथ निस्तारण किया गया " परिवादी से सम्पर्क करने की कोशिश की गई, परन्तु हर बार काल करने पर परिवादी से वार्ता नहीं हो पायी अतः परिवाद पूर्ण निस्तारित किया जा रहा है। इस प्रकार उपरोक्त सभी शिकायतों में एक ही घटना का वर्णित किया गया है। बिना परिणाम के बार बार झूंठी शिकायत की गई है जो राजस्थान सम्पर्क शाखा द्वारा असन्तुष्ट होकर बंद कर दी गई। जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थी के विरूद्व बार बार झूंठी शिकायत कर उस पर अनैतिक दबाव बना कर राशि हड़पने की मंशा रही है । इसलिए भी प्रत्यर्थी संख्या 2 की झूंठी शिकायत दिनांक 08.03.2021 के अन्तर्गत पारित आलौच्य आदेश दिनांक 24.03.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी के कियोस्क पर जाने की तारीख का उल्लेख नहीं किया है तथा उसने अपने प्रार्थना पत्र में तीन आवेदन क्रमांक 210342343535, 2010342331441 एवं 210342304132 का उल्लेख किया है जो कि जाति प्रमाण पत्र के ना होकर ई॰डब्लू॰ एस॰ के है जो उचित शुल्क पर जारी किये गये थे तथा जिनके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी संख्या 2 को कोई शिकायत नहीं थी। इस प्रकार यदि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो सत्यता आ जाती, किन्तु झूंठी शिकायत के आधार पर एक पक्षीय आदेश दिनांक 24.03.2021 को पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। कोविड 19 की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन कर दिया गया था जिस वजह से अपीलार्थी द्वारा अपील अन्दर मियाद पेश नहीं की जा सकी तथा उक्त देरी अपीलार्थी द्वारा जानबूझ कर नहीं की गई। जो न्याय हित में क्षमा किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2021 को निरस्त कर उक्त आदेश के तहत शास्ति के तौर पर काटी गई राशि 5000/–रूपये अपीलार्थी को लौटाये जाने के आदेश फरमावें ।

5. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. सर्वप्रथम हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थी की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है,

जिला कलक्टर
जयपुर

किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से वस्तु स्थिति की रिपोर्ट चाही गई थी, किन्तु प्राप्त नही हुई है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलार्थी ई–मित्र कियोस्क धारक पर आवेदक से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना बताया है, किन्तु अधिक कितनी राशि वसूल की गई इसका अपीलाधीन आदेश में कोई उल्लेख नही है। जबकि शिकायतकर्ता द्वारा राजस्थान सम्पर्क पर शिकायत किये जाने पर शिकायत का Final Closure (No Response) के साथ निस्तारण किया गया है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना जांच किये एक पक्षीय आदेश से 5 दिवस के लिए कियोस्क को निलम्बित करते हुये 5000/–रूपये की शास्ति आरोपित की जाकर दण्डित किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी कालूराम जाट के ई–मित्र वॉयलेट से शास्ति के रूप में काटी गई राशि 5000/–रूपये अक्षरे पांच हजार रूपये अपीलार्थी को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर